न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
10/2025	24.03.2025	30.07.2025

मीना बंसल पुत्री रूपनारायण पत्नी राजेश निवासी वार्ड न0 4, गंगापुर सिटी
——प्रार्थिया

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील तलावडा ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री अनिल कुमार मित्तल, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 440 रकबा 0.55 है0, ख0न0 442 रकबा 0.33 है0 ग्राम मच्छीपुरा तह0 तलावडा मे स्थित है। जिसमे प्रार्थिया का 1/4 हिस्सा है। प्रार्थिया का नाम मीना बंसल पुत्री रूपनारायण पत्नी राजेश है जो प्रार्थिया के समस्त शैक्षिणिक दस्तावेजो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, फोटो पहचान पत्र इत्यादि मे दर्ज है जबकि प्रार्थिया का बोलता नाम मीरा है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे प्रार्थिया का नाम मीरा अंकित कर दिया गया है। मीरा व मीना बंसल अलग अलग महिलाए नही है बल्कि दोनो एक ही महिला का नाम है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थिया का नाम मीना बंसल के स्थान पर मीरा अंकित हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे प्रार्थिया का नाम मीरा की जगह मीना बंसल अंकित संशोधित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 261 ग्राम मच्छीपुरा, फोटोकॉपी जनआधार कार्ड, फोटोकॉपी राशन कार्ड, फोटोकोपी आधार कार्ड, फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत किये है तथा शपथ पत्र चेतन अग्रवाल पुत्र रूपनारायण निवासी जयपुर, नीरू अग्रवाल पत्नि चन्द्रमोहन अग्रवाल निवासी जयपुर, सुमन पत्नि सत्यनारायण मंगल निवासी हाउसिंग बोर्ड आलनपुर सवाई माधोपुर प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] को तलब किया गया एवं तहसीलदार तलावडा से रिपोर्ट चाही गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:36 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

अप्रार्थी तहसीलदार तलावडा की ओर से उनके पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/ 611 दिनांक 20.05.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का अमरगढ की मूल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया सुनी गई।

प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाए जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम मच्छीपुरा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी खाता संख्या 261 मे मीरा पुत्री रूपनारायण जाति महाजन हिस्सा 1/4 दर्ज है। जो नामान्तकरण संख्या 1262 दिनांक 14.8.2023, निर्णय दिनांक 17.8.2023 से दर्ज हुआ है। पटवारी हल्का अमरगढ की रिपोर्ट के अनुसार मीना व मीरा एक ही महिला है। अतः मीरा के स्थान पर मीना किया जाना उचित होगा। इस प्रकार प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत अभिलेख व तहसीलदार तलावडा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं भूमि ख0न0 440 रकबा 0.55 है0, ख0न0 442 रकबा 0.33 है0 ग्राम मच्छीपुरा तह0 तलावडा की जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 261 में दर्ज नाम मीरा पुत्री रूपनारायण हिस्सा 1/4 जाति महाजन, सा0देह खातेदार के स्थान पर मीना बंसल पुत्री रूपनारायण हिस्सा 1/4 जाति महाजन, सा0देह खातेदार दर्ज करने का एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:36 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)